

SUMMARY TRAIL UNDER SECTION 263 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of :- सुशील गेहलोत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद,  
सेशन खण्ड-मण्डलेश्वर, प.नि. (म.प्र.)

Case No. SUM/61/24

Complaint report made on- 19/02/24

Name and address of the complainant-

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा-थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सनावद,  
राजस्व जिला खरगोन (म.प्र.)

Name parentage, caste and address of accused

गणेश आलसे आत्मज हिरर....., वर्तमान उम्र लगभग 30 वर्ष  
वर्ष, व्यवसाय-प्रजद्वी निवासी-गणेश काठभर, P.S. सनावद

The offence complained of and date of, its date of, its alleged commission

आपके विरुद्ध अभियोग है कि आपने दिनांक 19/02/24 को समय 12:30 बजे  
स्थान काठा परमार बगलावरा पर स्वयं के कब्जे में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र अथवा पास  
के बिना 14वीं हाथ कट्टी शराब रखकर ऐसा अपराध किया जो म.प्र.  
आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस  
न्यायालय के संज्ञान में है।

क्या आप दोषी होने का अभिवाक् करते हो अथवा विचारण चाहते हो ?

(सुशील गेहलोत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
सनावद, सेशन खंड मंडलेश्वर(म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)\_

अभियुक्त को उपरोक्त अपराध विवरण पढकर सुनाया व समझाया गया।

अभियुक्त का अभिवाक् है कि:- अपराध स्वीकार

मदेश

(सुशील गेहलोत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
सनावद, सेशन खंड मंडलेश्वर(म.प्र.)

The offence proved if any, and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause (g) of Sub section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

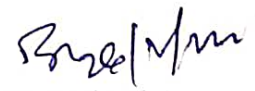
(दिनांक- 26/02/24 )

1. अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है।
2. अभियुक्त द्वारा अभियोजित अपराध किया जाना स्वीकृत तथ्य है।
3. अभियुक्त को अपराध स्वीकारोक्ति के परिणाम एवं अभियोजित अपराध के दंड की मात्रा से अवगत करवाया गया। स्वीकारोक्ति के संबंध में तस्दीकी की गई। स्वीकारोक्ति स्वतंत्र सम्मति से स्वैच्छा किया जाना परिलक्षित है। फलतः अभियुक्त को उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

// दण्डादेश //

4. दोषी को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये 1500/- (अक्षरी रुपये एक हजार पांच सौ) के जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माने जमा करने के व्यतिक्रम किये जाने पर दोषी को 03 दिवस का सादा कारावास पृथक से भुगताया जाएगा।
5. प्रकरण में जलशुदा मादक द्रव्य मदिरा जमीन पर ढोलकर नष्ट, निराकृत की जाए।

कार्यवाही समाप्त होने की तारीख  
26/02/2024

  
(सुशील गेहलोत)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
सनावद, सेशन खंड मंडलेश्वर(म.प्र.)